14.5.19

डूंगला

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 6 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आए। बार-बार आवाज लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं। न ही किसी ने इनकी ओर से उपस्थिति दी। अतः विपक्षी सं. 1 से 6 तक विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कुम्हारखेड़ा पटवार मण्डल सांगेसरा तहसील डूंगला की आ.नं. 337 रकबा 0.5440 है. आराजी प्रार्थी के खातेदारी रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है। जिसका कोई स्थायी चिन्ह सीमा नहीं है तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी हैं, प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता है इसलिए उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गयी। प्रार्थी और बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है।

Scanned by CamScanner

अत: तहसीलदार डूंगला को 1000/- अक्षरे एक हजार रु०
फीसपर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता
है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे
अनुसार बिना किसी के कब्जे कास्त में दखल किए मौजा
कुम्हारखेड़ा पटवार मण्डल सांगेसरा की आराजी नं. 337 रकबा
0.5440 है. भूमि की पत्थरगढ़ी मुकम्मल तौर पर की जावे।
पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक 28/6/17 तक न्यायालय हाजा
प्रस्तुत करें। इसी आशय का हुक्मनामा जारी किया जावे। पत्रावली
बइन्तजार पालना प्रतिवेदन में दिनांक 28/6/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला